सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 03, गुरूवार, शाके 1943–जून 24, 2021 *Asadha 03, Thursday, Saka 1943- June 24, 2021*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, भोपालगढ़ जिला-जोधपुर (राज.)

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 सन 2009) की धारा 340 की उपधारा (1) के खण्ड (यछ) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका, भोपालगढ़ एतद् द्वारा उपविधिया बनाती है । नामतः -

-: नगर पालिका, भोपालगढ़ विज्ञापन उपविधियां, 2021 :-

जोधपुर, जून 11, 2021

1. शीर्षक सीमा एवं प्रभाव :-

(i) यह उपविधियां नगर पालिका, भोपालगढ़ (विज्ञापन) उपविधियां, 2021 कहलायेगी ।

(ii) यह उपविधियां नगर पालिका, भोपालगढ़ की समस्त सीमा में प्रभावशील होगी ।

2. शब्दिक परिभाषाएं - जब तक अर्थ मे असंगतता अथवा भाव में विपरीत न हो इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकाष व्यवहृत होंगी:-

(i) अध्यक्ष/प्रशासक से अभिप्राय नगर पालिका के अध्यक्ष/प्रशासक से है और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष भी सम्मिलित है ।

(ii) अध्यक्ष से तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत नगर पालिका की गठित समिति के अध्यक्ष से है ।

(iii) अनुज्ञा पत्र (लाईसेंस) से अभिप्रेत इन उपविधियों के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले या प्रदान किये गये अनुज्ञापत्र से है ।

(iv) अनुज्ञापत्र धारी (लाईसेंस) से अभिप्रेत इन उपविधियों के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है तथा इसमें उसका अभिकर्ता प्रतिनिधि एवं अन्य कर्तव्यस्थ सेवक भी सम्मिलित है ।

(v) अधिशाषी अधिकारी से अभिप्रेत नगर पालिका, भोपालगढ़ के अधिशाषी अधिकारी से है ।

(vi) नगर पालिका सूचना पट्ट से अभिप्रेत पालिका द्वारा निर्धारित पट्ट से है जो् किसी भी प्रकार के सूचना पत्र, विज्ञापन, वात विपत्र (होडिग्स) आदि लगाने अथवा चिपकाने के लिये पालिका द्वारा निष्चित किया गया है ।

(vii) पालिका से अभिप्रेत नगर पालिका, भोपालगढ़ से है ।

(viii) ''विज्ञापन'' से तात्पर्य ऐसे पट्ट या सूचना पट्् ट, प्लेकार्ड, हस्त विंपत्र, रेखा चित्र, नाम पट्ट, विद्युत चालित विज्ञापन, बैनर, प्रतीक चिन्ह (ऐम्बलम), वालपेटिंग चल वाहनों पर विज्ञापन व होर्डिग्स आदि से है जो किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकान/व्यवसायिक संस्थान, भूमि, दीवार या आकाष चल वाहनों / वस्तुओं पर प्रदर्षित हो तथा जो किसी विज्ञापन को प्रदर्षित करने के लिए प्रयुक्त हो जो किसी फर्म / एजेन्सी/ व्यक्ति / संस्था/ उत्पाद आदि का नाम व विज्ञापन प्रदर्षित करें ।

(ix) परिष्कृत क्षेत्र (सोफिस्टीकेटेड एरिया) से अभिप्रेत ऐसे क्षेत्र से है जो लाईसेन्सिग आथेरिटी द्वारा विज्ञापन समिति की राय से निर्धारित किया जावे ।

(x) विज्ञापन समिति से अभिप्रेत उस समिति से है जिसका गठन कार्य हेतु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 103 के तहत निर्वाचित बोर्ड द्वारा किया जावेगा एवं एतदर्थ अधिनियम की शक्तियो का प्रत्यायोजन होगा ।

(xi) खतरनाक विज्ञापन प्रदर्षन से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रदर्षन से है जो मानव जीवन के लिए खतरनाक हो परन्तु कोई विज्ञापन महज दृष्य मात्र होने से खतरनाक नहीं होगा । परन्तु कौनसा विज्ञापन खतरनाक माना जावे या खतरनाक नहीं माना जावे इस बारे में पालिका का निर्णय अन्तिम होगा ।

(xii) विज्ञापन समीक्षा समिति से अभिप्राय ऐसी समिति से है जो आगे इन उपविधियों के अंकित की गई है।

(xii- क) विज्ञापन शुल्क से तात्पर्य नगर पालिका भोपालगढ़ द्वारा विज्ञापन प्रदर्शन हेतु लगाए गए शुल्क से है।

(xiv-ख) निर्धारित आवेदन पत्र से तात्पर्य ऐसे आवेदन पत्र से है जिसमें विज्ञापनकर्ता को अपना आवेदन / नवीनीकरण हेतु आवेदन नगर पालिका को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(xv-ग) अस्थाई विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो कि सीमित अवधि हेतु आम रास्तों, निर्माणधीन भवनों, किसी त्यौहार, समारोह ,प्रदर्शनी, राजनैतिक सभा, विशिष्ठ अतिथियों के स्वागत के संदर्भ में दरवाजों, पोल फ्लैग, होर्डिगस (अस्थाई), मोबाइल विज्ञापन, सर्विस/डिलेवरी वैन के माध्यम से प्रदर्षन करने हेतु उपयोग में लाए जाते है ।

(xvi-घ) पंजीकृत एजेंसी से तात्पर्य ऐसी एजेंसी से है जो नगर पालिका भोपालगढ़ की सीमा में निजी भूमि/भवन, सरकारी भूमि या भवन पर विज्ञापन प्रदषन करती है एवं इस प्रयोजनार्थ नगर पालिका पीपाड़ शहर द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराने के उपरान्त नगर पालिका पीपाड़ शहर से रजिस्टर्ड है।

(xvii-ड़) दिषा सूचक बोर्ड से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो निजी/ व्यावसायिक प्रतिष्ठान से संबंधित हो एवं अपने कार्यालय की स्थिति को निर्देषित करता हो।

(xviii-च) विलम्बित (Abandoned) नवीनीकरण शुल्क से तात्पर्य ऐसी फीस लगाने से है जिसमें आवेदक द्वारा विज्ञापन पट्ट का नवीनीकरण का आवेदन पत्र निर्धारित अवधि के पश्चात् लाईसेंस आॅथेरिटी को प्रस्तुत किया गया हो ।

(xix-छ) इलेक्ट्रोनिक डिस्प्ले से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जिसका संचालन विद्युत, इलेक्ट्रोनिक उपकरण निआन साइन, ग्लोसाइन एल.ई.डी. इत्यादि के माध्यम से किया जाता है ।

(xx--ज) विविध विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे विज्ञापनों से है जिनका चित्रण विज्ञापन पट्ट के अंदर विद्युत बल्ब लगाकर रोषन किए जावें, या इस तरह के विज्ञापन जोकि बहुकोणों से दर्षनीय हों एवं जिनका पठन सूर्य अस्त के पश्चात् भी हो सके जैसेः- ट्राइविजन एडवरटाईजमेंट (ट्रायएड), बेकलिट एडवरटाईजमेंट, इल्यूमिनिटेड, ग्लोसाइन/न्योलसाइन इत्यादि ।

(xxi-झ) यूनीपोल पर विज्ञापन प्रदर्षन से तात्पर्य ऐसे होर्डिंग स्टे्क्चर से है जोकि एक से अधिक आयरन एंगिल से तैयार नही किया जाकर एक ही स्टील पाईप पर आधार तैयार किया जाकर विज्ञापन प्रदर्षन किया जाता है ।

(xxii-ट) गेन्ट्री विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो सड़क के उपर खम्भों के सहारे सडक के आर-पार (एक्रोस दी रोड) यातायात को दृश्य होते है प्रदर्शन किए जाते है ।

(xxiii-ठ) अनाधिकृत विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे प्रदर्शन विज्ञापनों से है जिन्हे गत वर्षो में लाईसेंस नवीनीकरण नहीं करवाया जाकर वर्तमान में भी विज्ञापन प्रदर्शन किया जा रहा है एवं बिना सक्षम स्वीकृति के विज्ञापन प्रदर्शन किये जा रहे है अथवा ऐसे विज्ञापन है जो बिना सक्षम स्वीकृति के प्रदर्षन किये जा रहे है ।

(xxiv-ड) स्वनिर्धारण योजना ''एसएएस (एड)'' से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन जो कि राजकीय भूमि से पृथक व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर व्यापारिक उदेश्यों की पूर्ति के लिए लगाए जाते है । निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क जमा करवाते हुए स्वनिर्धारण योजना एवं नियमों के अंतर्गत प्रदर्शन करने हेतु अनुमत होंगे ।

(xxv-ढ) बस शैल्टर्स से तात्पर्य बस में परिवहन हेतु यात्रियों के लिए ऐसे स्थान से है जहां पर यात्री बस के इंतजार के लिए एकत्र होते है । बस शेल्टर्स का साइज पालिका द्वारा निर्धारित साइज का होगा । विज्ञापन नगर पालिका पीपाड़ शहर द्वारा अनुमत किए गए डिजाईन एवं माप के अनुसार होंगे ।

(xxvi-ण) कियोस्क से तात्पर्य बिजली के खम्भों पर लगने वाले विज्ञापन पट्टों से है । विज्ञापन पट्टों का आकार 2 गुणा 3 का होगा।

(xxvii-प) मार्गो के सौन्दर्यीकरण से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन, जो रोड सौन्दर्यकरण के अंतर्गत रोड डिवाईडर, सर्किल, तिराहे, फुटपाथ पर रैलिंग के सहारे, ट्री गार्ड पर या नियमों के अधीन स्वीकृत डिजाईनों द्वारा प्रदर्शन होंगे ।

(xxviii-फ) पुलिस कियोस्क/बुथ पर विज्ञापन से तात्पर्य है कि यातायात कन्ट्रोल एवं यातायात से संबंधित निर्देश देने हेतु स्थापित कियोस्क / बूथ / छतरियों आदि पर किए गए विज्ञापन नगर पालिका, भोपालगढ़ से लाईसेंस एवं विज्ञापन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् ही विज्ञापन प्रदर्षन किए जा सकेंगे ।

(xxix-ब) जन सुविधाऐं हेतु निर्मित सुविधा स्थलों पर विज्ञापन से तात्पर्य है कि ऐसे स्थान जो जनसुविधा हेतु निर्मित किए गए है जैसे:- ट्रांसमिषन टॉवर (मोबाइल फोन कंपनीज) सुलभ शौचालय, डेयरी बूथ, टेलीफोन बूथ, कम्प्यूटर/इंटरनेट बूथ, बैच, ट्री गार्ड, कचरापात्र, पार्किग/यातायात बेरिकेट्स इत्यादि पर नगर पालिका भोपालगढ़ में निर्धारित विज्ञापन शुल्क जमा कराने एवं लाईसेंस प्राप्त करने के उपरान्त ही विज्ञापन प्रदर्शन किए जा सकेंगे ।

(xxx-भ) प्रदर्शनी स्थल से तात्पर्य ऐसे जगह से है जहां विभिन्न प्रकार के सामानों का एक निश्चित स्थल पर प्रदर्शन/आयोजन किया जाता है ।

(xxxi-म) ''निर्दिष्ट स्थान'' से तात्पर्य यह होगा जो पालिका द्वारा विज्ञापन प्रदर्शन हेतु स्वीकृत किया जावेगा ।

(xxxii-य) जो शब्द यहां परिभाषित नहीं किये गये है उनके सम्बन्ध में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 में दी गई परिभाषाऐं लागू होगी ।

3. निषेद्ध:-

i. पालिका सीमा में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विज्ञापन किसी भवन, पुल, आकाष मागर्, मय फुटपाथ पेड नगर प्राचीन नगर द्वारा आकाष बिजली या टेलीफोन के खम्भो चल-अचल

वाहनों/वस्तुओ पर अथवा किसी भी खुले स्थान पर बिना अनुज्ञापत्र के नही लगायेगा और न ही चिपकावेगा/चित्रित/प्रदर्षित नहीं करेगा ।

ii. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विज्ञापन बिना अनुज्ञापत्र के किसी भवन पुल, मार्ग, नगर प्राचीर या नगरद्वार बिजली व टेलीफोन के खम्भे, चलवाहन, डेयरी बूथो कियोस्क एवं शुलभ शौचालय, बस सेल्टर्स, रोड डिवाईडर पर नही लिखेगा और ना ही चित्रित करेगा तथा न ही अन्य किसी प्रकार की तस्वीरों द्वारा ऐसे संकेत प्रदर्षित करेगा कि जिनको कोई भी साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति विज्ञापन होने का ख्याल करे । उपरोक्त कृत्य विज्ञापन प्रदर्शन है या नही इसका निर्णय लाईसेन्स अथोरटी द्वारा किया जावेगा ।

iii. कोई भी व्यक्ति अथवा भवन व भूमि स्वामी निजी भवनों के ऐसे स्थानों पर जो किसी सार्वजनिक मार्ग से दिखाई देते है अथवा किसी आम रास्ते से प्रभावित होते हो किसी प्रकार के विज्ञापन बिना अनुज्ञापत्र के न चिपकायेगा न चिपकाने की स्वीकृति देगा न लिखेगा न लिखने की स्वीकृति देगा, न लटकाएगा और न लटकाने की स्वीकृति देगा, न चित्रित करेगा और न चित्रित करने की स्वीकृति देगा । अर्थात व्यवसायिक प्रतिष्ठान दुकान/ व्यवसायिक संस्थान के अलावा निजी भवनों पर विज्ञापन करने हेतु नियम 12 (2) के तहत अनुज्ञा लेनी होगी ।

iv. किसी भी प्रकार का लिखावट युक्त विज्ञापन (Wall Painting) एवं सुचना निजी/सरकारी भवनों / प्राचीरों/दरवाजों/एतिहासिक महत्व के स्मारक/ सार्वजनिक पुल की दीवारों पर चित्रित / प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी ।

4. अनुज्ञापत्र प्राप्ति की प्रणाली :-

i. सार्वजनिक स्थलों के निर्दिष्ट स्थानों पर युनिपोल, ओवरहैड साइनेज (गेन्ट्री), बस शैल्टर्स, हार्ड मास्क लाईट, पुलिस छत्री, टेलीफोन बूथ, डस्टबीन, खम्भों पर लगने वाले कियोस्क, लद्यु विज्ञापन पट्ट, बैनर एवं पोस्टर्स, डिवाईडर/फुटपाथ पर ट्री गार्ड लगाने के चयनित स्थान एवं समय-समय पर विज्ञापन प्रदर्षन करने से सम्बन्धित आने वाली तकनीक को ध्यान में रखते हुए पालिका द्वारा उपबंधित रीति से अन्य प्रकार से विज्ञापन लाईसेंसी द्वारा किया जा सकता है, अनुमत किए गए विज्ञापनों के आकार-प्रकार एवं साइज का निर्णय नगर पालिका द्वारा गठित विज्ञापन समिति द्वारा किया जाएगा जिसका अनुमत पत्र खुली नीलामी के आधार पर निर्णित किये जायेंगे, परन्तु यदि विज्ञापन समिति उचित समझे तो इन उपविधियों के अनुरूप मौजुदा विज्ञापन पट्टों का नवीनीकरण विज्ञापन समिति के अनुमोदन से किया जा सकता है । यह नवीनीकरण गत वर्ष के शुल्क की राषि से 20 प्रतिशत बढाकर किया जा सकेगा । लेकिन तीन वर्ष में एक बार नीलामी आवष्यक होगी । नगर पालिका, भोपालगढ़ द्वारा भोपालगढ़ नगर के सौन्दर्यकरण को ध्यान में रखते हुए किन्ही विशेष सड़कों /मार्गो /रास्तों / चैराहो / दोराहो/ तिराहो के लिए बीओटी बेसिस पर चयन किया जाकर पूर्ण मार्ग को नीलामी द्वारा विज्ञापन प्रदर्षन करने हेतु दिया जा सकेगा । विज्ञापन का आकार-प्रकार, साईज उॅचाई ईत्यादि का निर्धारण नगर पालिका, भोपालगढ़ विज्ञापन समिति द्वारा किया जायेगा ।

ii. रोड डिवाईडरों, बस सेल्टरों, सुलभ-षौचालयों, डेयरी बूथों, फिल्म पोस्टरों, ई-कियोस्क, बैनर पट्ट/छोटे विज्ञापन पट्ट / विज्ञापन पट्ट (होर्डिग्स) आदि पर विज्ञापन प्रदर्शन लाईसेन्स खुली नीलामी/ बीओटी आधार पर किया जा सकेगा । जिनकी शर्तो का निर्माण विज्ञापन समिति द्वारा किया जाएगा ।

iii. विद्युत चलित/इलेक्ट्रोनिक विज्ञापन प्रदर्षन हेतु निर्धारित स्थानों पर खुली नीलामी के द्वारा दिये जायेगे ।

iv. उपविधियों के अन्तर्गत:-

1. इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ अधिषाषी अधिकारी अनुज्ञापत्र प्राधिकारी (लाईसेन्सिग आथोरिटी) होंगे ।

2. एक विज्ञापन समीक्षा समिति होगी जिनके नगरपालिका अध्यक्ष, अध्यक्ष होगे एवं निम्नाकित सदस्य होंगे जिसकी छः माह में एक बार बैठक अवश्य बुलानी होगी ।

    1. उपाध्यक्ष नगर पालिका, भोपालगढ़ ।

    2. कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका भोपालगढ़ जो सदस्य सचिव होगे ।

    3. राजस्व निरिक्षक/सहायक राजस्व निरिक्षक नगर पालिका भोपालगढ़ ।

    4. पुलिस अधीक्षक यातायात या उनके द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी ।

    5. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भोपालगढ़ ।

    6. अन्य दो व्यक्ति जो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिये नगर पालिका द्वारा मनोनीत किये जावे तथा जिन्हें समय-समय पर पालिका द्वारा परिवर्तित किये जा सकेंगे ।

5. इन उपविधियों की उपविधि 4 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र अधिषाषी अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा यदि :-

आवेदन -पत्र में उपविधियों में उपविधि संख्या 4 की शर्तो की पूर्ति नहीं की गई है ।

i. उसके दृष्टिकोण से विज्ञापन अनुुचित या अवैधानिक है अथवा अषिष्ट या अष्लील है या समाज विरोधी,देश विरोधी, महिला विरूपण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रतिबंधित है या नागरिकों के लिये क्लेषकर है अथवा उनका प्रदर्षन उसकी दृष्टि में किसी भी अन्य प्रकार से अवाछनीय है या जिनमें अष्लील अथवा नग्न अथवा नषे के चित्र या संकेत लिखित रूप में प्रदर्षित किये गये है ।

ii. विज्ञापन से जन शांति भंग होने का अन्देषा हो या सार्वजनिक हित में अथवा जन संगठन में बाधक हो ।

6. अधिषाषी अधिकारी को अधिकार होगा कि यह अनुज्ञाधारी को बिना पूर्व सूचना दिये ऐसे विज्ञापन को चाहे वे मुद्रित हो या लिखित हो या चित्रित हो या विज्ञापित स्थानों पर लगाये गये हो जिनमें शान्ति भंग होने का अंदेषा हो या अन्य प्रकार से सार्वजनिक हित या संगठन में बाधक हो या उपविधि 5 के अन्तर्गत आते हो या बिना स्वीकृति लगाये गये हों, यदि पट्ट निजी है और गन्दी व भद्दी हालत में रखा जाता है तो हटा सकेगे अथवा स्वस्थ करा सकेंगे । लाईसेन्सिग आथोरिटी द्वारा किसी उक्त भाग के अधीन हटाये गये विज्ञापन की क्षति का मुआवजा और खर्चा जो भी वह निष्चित करेंगे उस व्यक्ति से वसूल किया जावेगा, जिसने व जिसका विज्ञापन प्रदर्षित किया गया है ।

7. प्रत्येक विज्ञापन प्रदर्षन पट्ट आदि सामान्यतया उसी फर्म और व्यक्ति का माना जावेगा जिनका कि उस पर नाम अंकित है जब तक कि सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा विपरीत प्रमाणित न हो जाये ।

8. इन उप विधियों के अन्तर्गत प्रदान किये गये कोई भी अनुमति पत्र या अनुज्ञा पत्र अहस्तान्तरणीय होंगे । विज्ञापन प्रदर्शन पर फर्म या व्यक्ति का नाम अंकित अनिवार्य होगा ।

9. इन उपविधियों के अनुसार जो भी विज्ञापन अथवा चित्रित या लिखित विज्ञापन, सुचनाएं आदि हटाई या पोतकर स्वच्छ की जावेगी उनके लिए पालिका किसी प्रकार की क्षति की उत्तरदायी नहीं होगी और नाही शुल्क लौटाया जायेगा जो स्वीकृति के लिए जमा की गई है एवं विज्ञापन के गिरने, हटाने व प्राकृतिक आपदा के कारण हुई आम जन / धन हानि की समस्त जिम्मेदारी विज्ञापन कर्ता की मानी जावेगी । इसके लिये पालिका उत्तरदायी नहीं होगा ।

10. नगर पालिका द्वारा निर्देषित स्थान अथवा किसी भी संस्थागत भवन / व्यावसायिक प्रतिष्ठान / दुकान / व्यावसायिक संस्थान जो कि सार्वजनिक मार्ग पर हो विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेगे बशर्ते कि स्वच्छ वायु एवं प्रकाश का कुप्रभाव नहीं पड़े ।

11. नगर पालिका सुचना पट्ट पर विज्ञापन चिपकाने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अधिशाषी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि:-

i. यदि वह विज्ञापन को अनुमोदित करना है तो आवेदक द्वारा विज्ञापन प्रदर्षन किया जा सकेगा और प्रदर्षन किये जाने वाले विज्ञापन को अनुमोदित करेगा । इसके लिए अनुमति जारी करेगा ।

ii. यदि यह विज्ञापन आदि को अस्वीकार कर देता है तो लिखित में कारण बताते हुए उसकी प्रतियां वापिस आवेदक को लौटा देगा ।

iii. यदि लौटाई जोने वालों सूचनाओं की या विज्ञापनों की शुल्क जमा हो चुकी है तो यह भी वापस लौटा दी जावेगी ।

iv. यदि एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते है तो साईट का आंवटन खुली निलामी के द्वारा किया जायेगा।

12. उपविधियों के अन्तर्गत:-

i. प्रत्येक विज्ञापन प्रदषर्न हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदक द्वारा अलग-अलग प्रार्थना पत्र मय निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत आवेदन द्वारा एक से अधिक विज्ञापन प्रदर्षन हेतु इकजाई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकार नहीं किया जायेगा । इसके आधार में प्रार्थना पत्र खारिज किया जा सकेगा ।

ii. जो कोई व्यक्ति अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान का स्वामी अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर जो सार्वजनिक मार्ग से दिखाई दे अथवा किसी आम रास्ते से प्रभावित होती हो किसी प्रकार का लघु विज्ञापन पट्ट(ग्लोसाईन,नीओन,साईन,विज्ञापन पट्ट,इलेक्ट्रोनिक विज्ञापन, फलेक्स इत्यादि) लगना चाहेगा तो आवेदन पत्र अधिषाषी अधिकारी अर्थात लाईसेंसिंग आॅथोरटी को प्रस्तुत करेगा जिसे निम्नानुसार शुल्क देय होगा।

	नगरपालिका के होर्डिंग		यदि होर्डिंग खुद लगाता है तो	
फलेक्स/बैनर की साईज	मुख्य मार्ग	अन्य मार्ग	मुख्य मार्ग	अन्य मार्ग
10 गुणा 20	10000/ -रू प्रतिवर्ष	5000/ -रू प्रतिवर्ष	20000/-रू प्रतिवर्ष	10000/-रू प्रतिवर्ष
10 गुणा 15	8000/-रू प्रतिवर्ष	3000/-रू प्रतिवर्ष	10000/-रू प्रतिवर्ष	8000 /-रू प्रतिवर्ष
10 गुणा 10	5000/- रू प्रतिवर्ष	2500/ - रू प्रतिवर्ष	5000/-रू प्रतिवर्ष	3000/- रू प्रतिवर्ष

कियोस्क (2 गुणा 3)	300 /- रू पर पोल प्रतिमाह
एसएएस के तहत व्यावसायिक प्रतिष्ठान पे खुद का विज्ञापन	50 /- रू प्रतिवर्ग फीट

विज्ञापन शुल्क जमा कराने पर अनुज्ञा पत्र जारी किया जा सकेगा।

नोट:- यदि कोई आवेदनकर्ता एक माह के लिये साईट का उपयोग करता है तो शुल्क 2000/- रू प्रतिमाह होगा।

i. निजी भूमि (जमीन) में यूनिपोल लगाने की अनुमति दी जा सकेगी (भवन पर नहीं)। यूनीपोल की साईज पालिका द्वारा निर्धारित साईज/डिजाईन का होगा। इस हेतु शुल्क पास ही नीलाम किये गये यूनिपोल की साईज 40 प्रतिषत या 100 प्रति वर्गफीट जो भी अधिक हो,देय होगा। परन्तु यूनिपोल की साईज 10 फीट गुणा 20 फीट से अधिक होने पर समीप निलामी में गई यूनिपोल की राषि 40 प्रतिषत आनुपातिक (वर्गफीट) शुल्क देय होगा।

ii. लघु विज्ञापन पट्ट की अधितम चैडाई 4 एंव लम्बाई 20 फीट से अधिक नहीं होगी अर्थात लघु विज्ञापन पट्ट व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर समानान्तर लगाने होगें, लम्बवत नहीं लगाए जा सकेंगे।

iii. नगर पालिका द्वारा फर्म/व्यक्ति/विज्ञापन एजेन्सी को स्ट्रकचर होर्डिग की अनुमति इसी शर्त पर दी जा सकेगी भवन पर लगाये जाने वाला स्ट्रक्चर लाईट वेट का रहेगा। भवन पर स्ट्रक्चर की सुरक्षा की गांरटी सम्बन्धित पक्षकर को देनी होगी। इस हेतु पक्षकार को अन्डरटेकिंग देनी होगी। नुकसान होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी एंव मुआवजा देने की जिम्मेदारी पक्षकार स्वयं की होगी तथा फर्म/व्यक्ति/विज्ञापन एजेन्सी द्वारा सक्षम व्यक्ति से स्ट्रकचर होर्डिग का स्थायित्व प्रमाण-पत्र तथा भवन का सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नगर-पालिका की तकनीकी अधिकारियों द्वारा किया जावेगा। सुरक्षा की दृष्टि से सहीं सत्यापन होने पर नियम 12(2) में निर्धारित शुल्क लेकर अनुमति दी जा सकेगी।

iv. व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर केवल मंजिल दर मंजिल ही लघु विज्ञापन प्रदषर्न हो सकेगे। वेन्टीलेटर्स (दरवाजे, खिडकी, रोषनदान इत्यादि) खुले रखने होगे अर्थात वेन्टीलेटर्स के आगे लघु विज्ञापन पट्ट प्रदषर्न कर अवरूद्ध नहीं किये जा सकेगे। बहुमंजिले व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिनमें विज्ञापन प्रदर्शन हेतु विशेष स्थान निर्माण किये जा सकेगे। ऐसे समस्त प्रदर्षन विज्ञापनों का शुल्क विज्ञापन नियम 11(2) के अनुसार देय होगा।

v. अनुमति पत्र की अधिकतम अवधि एक वर्ष की रहेगी जो कि वित्तीय वर्ष(अप्रैल से मार्च) के आधार पर मानी जायेगी। अनुमति की न्यूनतम सीमा वित्तीय वर्ष की होगी।

12. कोई भी संस्था विभाग, रेलवे, परिवहन विभाग, केन्द्रीय/राजकीय सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग/ संस्थाऐ अपने भवन की छत पर छोडते हुए नगर पालिका सीमा क्षेत्र में स्वय की भूमि पर नगर पालिका की स्वीकृत से अपने विभाग से संबंधित सूचनाए/ विज्ञापन प्रदर्शन कर सकेगे जिसका आकार-प्रकार एंव डिजाईन भी नगर-पालिका में स्वीकृत करवाना अनिर्वाय होगा। विभाग द्वारा बी.ओ.टी एवं अन्य ऐसी पद्धति से कराया गया किसी भी प्रकार का कार्य जिस पर विज्ञापन द्वारा प्रदर्षन हो नगर पालिका की एन.ओ.सी प्राप्त किये बिना नहीं करायेगा। बी.ओ.टी पर करायें जा रहे कार्य पर होने वाले विज्ञापन पर नियम 11(2) अनुसार विज्ञापन शुल्क देय होगा।

13. (1) चल वाहनों पर विज्ञापन शुल्क निम्नानुसार देय होगा-

(अ) ऐसे वाहन जो विज्ञापन प्रदर्शन हेतु ही निर्मित किए गए हैं, ऐसे वाहनों पर प्रदर्शन विज्ञापन की दर 500/-रू प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह होगी।

उपरोक्त दरें वित्तीय वर्ष(अप्रैल-मार्च) के लिए लागू होगे। अनुमति पत्र की अवधि न्यूनतम सीमा वित्तीय वर्ष की ही होगी।

बिना अनुमति प्राप्त किये वाहन पर विज्ञापन प्रर्दषन करने पर वाहन को पालिका द्वारा जब्त करने का अधिकार होगा।

13(2) अन्य

(अ) पालिका द्वारा बैनर्स/फिल्मी पोस्टर्स/पोस्टर्स के लिए स्थान चयनित किए जाएगें। पालिका द्वारा चयनित स्थानों पर विज्ञापन प्रदर्शन हेतु निलामी की जावेगी।

(ब) गैर व्यवसायिक जैसे धार्मिक,सामाजिक,राजनैतिक सूचनाए नगर पालिका, भोपालगढ़ की पूर्व अनुमति के बिना नहीं लगाई जा सकेगी।

(स) नगर पालिका, भोपालगढ़ क्षेत्र में स्थित विभिन्न कंपनियांे के पेट्रोल पम्पों पर नगर पालिका द्वारा निर्धारित डिजाईन, साईज आकार-प्रकार के अपने व्यवसाय से संबंधित विज्ञापन ही प्रदर्शन किये जा सकेगे जिनकी दर 100/-प्रति वर्गफीट वर्ष होगी। विज्ञापन करने से पूर्व पालिका से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा।

(द) दीपावली,ईद, क्रिसमस, तीज गणगौर राजस्थान समारोह, मारवाड समारोह आदि त्यौहारों पर बाजारों में विषेष सजावट पर व्यापार मण्डलों /संस्थाओं/व्यक्ति विषेष द्वारा सार्वजनिक मार्गो /रास्तों पर सामूहिक सजावट के दौरान किये जाने वाले विज्ञापन निःषुल्क होगे जिनकी अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही विज्ञापन करा सकेगा। यह सुविधा शहर की चार दीवारी में भी देय होगी। सजावट विज्ञापन अवधि 7 दिवस से अधिक नहीं होगी।

(य) शासकीय/अर्द्धषासकीय उपक्रम व विभागों इत्यादि को भी उक्त उपविधियों की अनुपालना करनी होगी।

उपरोक्त वर्णित दरों में प्रतिवर्ष 15 प्रतिषत की वृद्धि की जावेगी। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देषों की पालना किया जाना अनिर्वाय होगा।

14. प्रतिबन्धः-

i. कोई भी विज्ञापन इस प्रकार नहीं किया जावेगा जिससे वाण्ज्यिक संस्थान के उपर कंगूरों में कोई विकृति हो अथवा ये आच्छादित हो जावे।

ii. कोई भी विज्ञापन वाणिज्यिक संस्थान की छत की मुंडेर कर अनुमत नहीं किया जावेगा वाणिज्यक संस्थान अपना नाम पटट साईज 2‘x20’ वर्गफीट तक लगा सकेगा एंव इसमें किसी प्रकार का विज्ञापन प्रदषर्न नहीं करेगा।

iii. कोई भी विज्ञापन वाणिज्यिक संस्थान के आगे फुटपाथ अथवा सड़क की और झुका हुआ अनुमत नहीं किया जावेगा।

iv. कोई भी विघुत चालित विज्ञापन मुख्य सड़क के चैराहों के केरन्द्र से किसी ऊप भवन के सिर पर 40 फीट से कम दूरी पर नहीं लगाया जावेगा।

v. विज्ञापन होर्डिग्स किसी दोराहें, तिराहे या चैराहें मंे रूकावट करते हुए अनुज्ञापित नहीं किया जा सकेगा।

vi. कोई भी विज्ञापन किसी यातायात नियमों के अन्तर्गत प्रदर्षित चिन्ह या पटट में चिन्हों के अंकित रंग या नाम से प्रृथक होगा। विज्ञापन द्वारा रूकावट नहीं डाली जावेगी।

vii. कोई भी विज्ञापन प्रदर्षन जो यातायात के सुगम संचालन में बाधक हो खतरनाक (होर्डिग्स) हो अनुमत नही किया जायेगा लेकिन विज्ञापन प्रदर्षन सहज दृष्य मात्र होने से यातायात में बाधक/ खतरनाक नही माना जायेगा।

viii. नगर प्राचीर व दीवार, सार्वजनिक कार्यालय, शैक्षणिक संस्थाएं, अस्पताल, राष्ट्रीय स्मारक पुल आदि पर कोई विज्ञापन प्रदर्षित नही किया जायेगा।

ix. किसी भी व्यक्ति को शहर की चारदिवारी के अन्दर किसी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्षित करने, चित्रित करवाने की अनुमति नही दी जायेगी।

15. मुक्तियां:-

i. जनहित की दृष्टि से निम्न परिस्थितियों में विज्ञापन प्रदर्शित करने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा जिसमें शासकिय व विभागीय चेतावनी चिन्ह, यातायात निर्देश, मार्ग सूचक चिन्ह/मानचित्र किसी न्यायालय या सार्वजनिक अधिकारी जो अपने कर्तव्यों के पालन से कोई विज्ञापन पत्र/सूचना पत्र/अन्य विज्ञापन प्रदर्शित करे या प्रदर्शित करने का निर्देश दे। उदाहरणार्थ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि विक्रय संबधं ी विज्ञापन व पेट्रोल पम्प संबंधी चिन्ह वृताकार में 2.5 गुणा 2.5 वर्ग फीट लगा सकेगा।

ii. कोई व्यक्ति दुकान/ व्यवसाय/भवन/दिवार /शहर पर अपना नाम/ व्यवसाय का नाम प्रदर्षन अंकित करता हैं, चित्रित करता हैं तो उसे सफेद/काला /लाल रंग में चित्रित / अंकित किया जावेगा किन्तु निर्धारित साईज 2 गुणा 20 वर्ग फिट से अधिक बोर्ड लगाने / चित्रित करने पर नियमानुसार निर्धारित शुल्क देय होगा।

16. निम्नांकित हस्तविपत्र अथवा सूचनाएं निर्धारित स्थलों पर निःषुल्क चिपकाई जावेगी –

i. वे समस्त सूचनाएं जो नगरपालिकाओं से तथा राज्य सरकार से प्राप्त होगी।

ii. वे समस्त सूचनाएं जो विषुद्ध धार्मिक हो अथवा जनहित में उचित प्रतीत होती हो अथवा जो उपविधि 15 (ii) में अंकित है।

17. कोई भी व्यक्ति नगर पालिका के सूचना पट्ट पर लगाये गये विज्ञापन व अन्य अनुज्ञापत्रित विज्ञापन अथवा दीवार पर लिखे या चित्रित किये गये विज्ञापन को किसी भी प्रकार की कोई हानि नही पहुचायेगा।

18. पालिका के प्रत्येक राजस्व अधिकारी/ राजस्व निरीक्षक / सहायक राजस्व निरीक्षक/ अतिक्रमण निरोधक प्रभारी का कर्तव्य होगा कि वे अपने क्षैत्र में इन उपविधी का उल्लघंन पाये जाने पर अनुज्ञापत्र प्राधिकारी को लिखित में रिपोर्ट प्रस्तुत करें एवं उपविधियों के अनुसार कार्यवाही करें।

19. इन उपविधियों के उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्ति का चालान सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करने का अधिकार अधिषाषी अधिकारी द्वारा अधिकृत प्राधिकारी को होगा।

20. इन उपनियमों के अन्तर्गत दिये गये किसी भी आदेष की अपील पालिका को आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे की जा सकेगी। निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त करने का समय बाद दिया जावेगा। पालिका इस उप नियम के अधिकार किसी कमेटी को भी दे सकेगा।

21. इन उपविधियो में से किसी भी उपविधि का उल्लघंन प्रमाणित होने पर सक्षम न्यायाधीश द्वारा 5000/- रूपये तक का अर्थदण्ड दिया जा सकेगा और उल्लंघन जारी रहने तक 200/- रूपये प्रतिदिन अतिरिक्त दण्ड भी दिया जा सकेगा।

22. अर्थदण्ड की धन राशि न्यायालय में जमा हो जाने पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 (अधिनियम संख्या 18 सन 2009) के अनुसार पालिका कोष में भेजी जायेगी।

23. सरकार/ न्यायालय के द्वारा प्रतिबन्धित विज्ञापन स्थलों के अतिरिक्त लाईसेन्स शुदा विज्ञापन बोर्ड को कोई अन्य विभाग नही हटा सकेगा।

24. कोई भी व्यक्ति, संस्था विभाग, रेल्वे परिवहन विभाग, केन्द्रिय / राजकीय सरकारी/ अद्व्वसरकारी विभाग / संस्थाएं अपने भवनों पर नगर पालिका सीमा क्षैत्र में विज्ञापन नही कर सकेगें जो सार्वजनिक भवनों / मार्गो/ पुलिया/ मैदानों / पार्को या सार्वजनिक स्थानों से नही दिखते हो , मात्र उनके प्रिमिसेज के अन्दर ही प्रदर्ष होते हो।

इसका उल्लघंन करने पर संबंधित विज्ञापन एजन्सी से उस क्षैत्र की निकटतम साईट की निलामी दर का 15 प्रतिषत या 40 रूपये प्रति वर्गफीट जो भी अधिक हो शुल्क की वसूली की जाएगी। अगर एजेन्सी/ फर्म शुल्क जमा नही करवाती हें तो पालिका को विज्ञापन पट्ट जब्त करने का अधिकार होगा।

25. विज्ञापन से संबंधित कोई वाद होने पर अपील नगरपालिका बोर्ड/ अपील समिति/ अपराधों का शमन और समझौता समिति मे की जा सकेगी तथा उसका निर्णय होने पर ही वह नगरपालिका की उपविधियों के तहत आगे अपील कर सकेगा।

26. निरसन:- इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने के पष्चात इन उपविधियों से संबंधित सम्पूर्ण नियम, उपनियम, प्रस्ताव, विज्ञप्तियां एवं आदेश जो भी प्रचलित हैं, समग्ररूप से विखण्डित हो जायेगें। पूर्व मेंे प्रचलित उपविधियों के अध्याधीन निस्तृत नियम, उपनियम प्रस्ताव विज्ञप्तिया एवं आदेश इन उपविधियों के प्रावधानों में विपरीत न होने की सीमा तक असंगत नही समझे जायेगें। इन उपविधियों के प्रवर्तन मे आने से पूर्व में उक्त नियमों के उपनियमों, प्रस्ताव विज्ञप्तिया एवं आदेश इन उपविधियों के प्रावधानों में विपरीत न होने की सीमा तक असंगत नही समझे जायेगें। इन उपविधियों के प्रवर्तन मे आने से पूर्व में उक्त नियमों उपनियमों, प्रस्ताव विज्ञप्तियां आदेश के अन्तर्गत किया हुआ कोई कार्य केवल इन उपविधियों के प्रभावशील हो जाने के कारण अवैध नही समझाा जावेगा बशर्ते कि ऐसा कार्य इन उपविधियों के प्रावधानों के विपरीत न हो।

सुरेशचन्द्र शर्मा,
प्रशासक/अधिशाषी अधिकारी,
नगरपालिका, भोपालगढ़।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।